of Defence equipment|stores is resorted to only after examining the techno-economic feasibility of indigenous production within the requisite time-frame. Efforts are continuously made to reduce the import of defence stores, both to save foreign exchange and attain self-reliance. It will not be desirable in the security interest to disclose further details.

Pollution control by utilising low grade coal

2323. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some suggestions were made by some American Environmental experts that India can control its environmental pollution in rural areas by utilising low grade coal;

(b) whether any equipment to purify the coal has been developed in America;

(c) whether usage of this equipment in the country can be helpful to remove the environmental pollution;

(d) whether Government propose to take steps on the said suggestions and to do trial experiments of equipment; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NILAMANI ROUTRAY): (a) The Government are not aware of any specific suggestions made by American Environmental expert. However, the use of low grade coal as a domestic fuel would save an equivalent amount of trees from being felled and used as domestic fuel.

(b) The Government are not aware of any equipment in this regard.

(c) to (e) Do not arise.

आयुध कारखाना, खमरिया में वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण

2324. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** 29 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2204 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखाना, खमरिया में वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को किस प्रकार लागू किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) श्री हरी यादव अपनी प्रोन्नति के लिए सरकार से कब से मांग करते आ रहे थे और उनकी मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं जबकि उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को प्रोन्नत कर दिया गया था ;

(ग) उनसे पद में कनिष्ठ और समकक्ष उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जो बहुत पहले ही प्रोन्नत कर दिए गए थे तथा वे विशेष उपलब्धियां क्या थीं जिनके आधार पर उन्हें प्रोन्नति मिली;

(घ) क्या प्रबंध-मण्डल ने जानबूझकर श्री यादव का स्थानान्तरण कर दिया है और न्यायालय के आदेश का पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया; और

(ङ) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय का अनुपालन करते हुए, श्री यादव के वेतनमान को उनके समकक्ष कार्यरत अन्य सहायक फोरमैनों के वेतनमान के बराबर निर्धारित करने और उनके साथ की जा रही प्रतिशोधात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने का विचार रखती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार आयुध निर्माणी, खमरिया के सभी याचिकाकर्ताओं सहित